न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 139/2024 राजस्व वाद

01. श्री सूरज पुत्र रात्यनारायण बलाई आयु वयस्क निवासी— पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

वादी —

बनाम

01. सोनी पत्नि स्व. रामा नायक उम्र वयस्क निवासी बलिया खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :—
1. श्री अशोक कुमार लखारा,
2. एकपक्षीय—

—अधिवक्ता वादीगण
प्रतिवादीगण

::निर्णय:: दिनांक 30.12.2024

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादी सख्या 01 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड़ पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतियादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक 24.08.2024 से विधित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या—01 लगायत 02 उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता ने बहस करने का निवेदन किया, वहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेडा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी अधिवक्ता की वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

::आदेश::

सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा के खाता संख्या 487 मे आराजी नम्बर 1230/861 मे वादी एंव प्रतिवादी के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

(01) खातेदार का नाम— श्री सूरज पुत्र रात्यनारायण बलाई निवासी— पुर भीलवाडा के नाम पर—

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01	1230/861 (क)	0.3583 हैक्टयर

फोटो स्टेट प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

योग	कुल कित्ता 01	0.3583 हैक्टयर

(02) खातेदार का नाम– सोनी पत्नि स्व. रामा नायक सा० बलिया खेड़ा के नाम पर–

क.स.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	1230 / 861 (ख)	0.0717 हैक्टयर
योग	कुल कित्ता 01	0.0717 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 30 / 12 / 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

फोटो स्टेट प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा